राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 123/2023 प्रा0पत्र

अनवान

1. उम्मेद सिंह पिता जसवंत सिंह उम्र 28 वर्ष।
2. कुशाल सिंह पिता लक्ष्मण सिंह।
3. अशोक सिंह पिता मिठा सिंह।
4. हुकम सिंह पिता करम सिंह।

समस्त जाति रावत निवासीयान ग्राम बरार बाड़िया मायला खेत पटवार हल्का बरार जिला राजसमंद।

.... प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील भीम जिला राजसमंद

.... अप्रार्थी

उपस्थिति :—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मिठा सिंह चौहान
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः— 5/1/2026

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम बरार देवराजनगर पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमंद में निम्न आराजियात आई हुई है जो निम्न है जिसके खाता संख्या 359 नया के खसरा संख्या 11623 रकबा 0.5908 है0, एवं खाता संख्या 346 पुराना के खसरा संख्या 11623 रकबा 3.1300 बीघा है। उपरोक्त वर्णित आराजियात भूमि में खाता संख्या 359 नया खसरा नम्बर 11623 में संशोधित कर केवल शामलाल पटी तेजात कि जगह शामलाल पटी तेजात हिस्सा 1 चोपात पटी हिस्सा 2 विरमोत पटी हिस्सा 1 दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र, जमाबंदी की प्रतिलिपि प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार खाता संख्या 359 नया के खसरा नम्बर 11623 में संशोधित कर शेष हिस्से में शामलाल पटी तेजात हिस्से की जगह शामलाल पटी तेजात हिस्सा 1 चोपात पटी हिस्सा 2 विरमोत पटी हिस्सा 1 दर्ज करना उचित है तथा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थी ने बहस में भी प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी दस्तावेज, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर ग्राम बरार देवराजनगर पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमंद में निम्न आराजियात आई हुई है जिसके नया खाता संख्या 359 खसरा संख्या 11623 रकबा 0.5908 है0 एवं पुराना खाता संख्या 346 के खसरा संख्या 11623 रकबा 3.1300 बीघा है। उपरोक्त वर्णित आराजियात जमाबंदी संवत् 2069—72 में खाता संख्या 359 खसरा संख्या 11623 में खातेदार शामलात पट्टी तेजात हिस्सा 01, चापात

हिस्सा 2 विरमोत हिस्सा हिस्सा 01 दर्ज है जबकि जमाबंदी संवत् 2073–2076 मे सम्पूर्ण खसरा शामलात पट्टी तेजात दर्ज हुआ तत्पश्चात् जरिये बेचान तथा नामान्तकरण संख्या 313 दिनांक 30.08.2024 न्यायिक आदेश के जरिये शामलात पटी तेजात हिस्सा पूर्ण जाति रावत सा.देह खातेदार के स्थान पर बदामी देवी पत्नि जोधसिंह हिस्सा 1215/5908 जाति रावत सा.देह खातेदार, शामलात पटी तेजात हिस्सा 4693/5908 जाति रावत सा.देह खातेदार तथा नामान्तकरण संख्या 316 दिनांक 08.10.2024 बेचान के जरिये बदामी देवी पत्नि जोध सिंह हिस्सा 1215/5908 जाति रावत सा.देह खातेदार के स्थान पर आशा देवी पत्नि किशन सिंह हिस्सा 1215/11816 जाति रावत एवं सुमित्रा देवी पत्नि गणपत सिंह हिस्सा 1215/11816 जाति रावत से नये खातेदार आशा देवी तथा सुमित्रा देवी उक्त आराजी में नये खातेदार दर्ज हुए। अतः नये क्रेता के हिस्से को यथावत रखकर शेष हिस्से में जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार विरमोत, चापात तथा तेजात का हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 5/1/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द) की मुहर)

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द